









**कार्यालय,**

**संघ, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या: प्राधिपापरिषद् संघीय सम्बद्धता/2022/10770

संलग्नक दिनांक: 15/12/2022

**कार्यालय द्वारा:**

संघित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय लोक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु द्वितीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संघीय सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग उद्घरण किए जाने हेतु दिनांक 09/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अधीन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघीय संस्थाओं को सम्बद्धता विद्यार्थी पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता युक्ति ग्राहक अन्य माहौल पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता पर लखनऊ पीसीआई द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रेषित कर दिया गया है।

पीसीआई के परसर्टन संख्या 18-443/2022-NTA Approval Process 2022-2023/14785-09 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत संस्थाओं से पूर्व से शिक्षा कमिटी के निराकरण का दिनांक एसाईआपफ पर अपलोड करते हुए निर्धारित चरण पर प्रवेश पर विचार करने के लिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन संस्थाओं के साथ सत्र सत्र पर लेकर बालूत की गई प्रवेश क्षमता को सम्बद्धता इस चर्चा के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में संस्था के निरीक्षण के समय एसाईआपफ का सफलतापूर्वक प्रदर्शन होगा।

संस्था का कोड एवं नाम : 4934-PARAS SINGH COLLEGE OF PHARMACY

क्रम सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रत्येक संघीयित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एसाईआपफ/पीसीआई/पीसीआईआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, विनियमवली-2010, केन्द्रीय विनियमावली-2010 तथा उच्च-व्यय पर निर्गत शासकदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की पूर्णतः पूर्णतः पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो तर्कीय कार्यवाही पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो तर्कीय कार्यवाही पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक उपाधिका से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपाधिकाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सत्र द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासकदेश प्राप्ती होने, ओर तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया गया है, तो फीस की नवीनकरण करें तबु ही।
- ✓ संस्था में सफल प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित जगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासकदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/विनियमों/शासकदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थाओं का एसाईआपफ/पीसीआई/पीसीआईआई ने अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ प्रवेश परीक्षा परिषद प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निरस्त यदि कोई कदम चलाया गया है तो। उत्तर प्राद में संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्राप्ती संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो समस्त प्राप्ती संबंधी संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को समस्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु प्राप्ती संबंधी प्रवेश को पूर्व एसाईआपफ/पीसीआई/पीसीआईआई ने अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश व प्राप्ती संबंधी के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्राप्ती प्रवेश) अनुमोदित प्रदान नहीं की जाएगी।

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनायें जैसे संस्था की ऐतिहासिकता, भूमि, छात्र, सभ्यता, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला सुलभ आवास सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को गिनती-प्रमाणित वेतु उपयुक्त आवास उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक संस्थानों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक आगत्य सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित कार्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध करणीय भूमि-भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिणत को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था आभेक्षक का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता सम्पन्न किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के वार्षिक वार्षिक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, फर्निचर, उपकरण एवं अन्य सामान-सामान्य एच-आई/आईटी/आईआई/पीएचडी/एचडी/एचडी के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता पत्रों का अनुपालन न किये जाने अथवा पत्रों का उल्लंघन किये जाने की निहित में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

*(Signature)*  
 (एफए0 अर0 खान)

सचिव

15/12/2022

फोन: 011-26101111, 26101112, 26101113, 26101114, 26101115, 26101116, 26101117, 26101118, 26101119, 26101120, 26101121, 26101122, 26101123, 26101124, 26101125, 26101126, 26101127, 26101128, 26101129, 26101130, 26101131, 26101132, 26101133, 26101134, 26101135, 26101136, 26101137, 26101138, 26101139, 26101140, 26101141, 26101142, 26101143, 26101144, 26101145, 26101146, 26101147, 26101148, 26101149, 26101150, 26101151, 26101152, 26101153, 26101154, 26101155, 26101156, 26101157, 26101158, 26101159, 26101160, 26101161, 26101162, 26101163, 26101164, 26101165, 26101166, 26101167, 26101168, 26101169, 26101170, 26101171, 26101172, 26101173, 26101174, 26101175, 26101176, 26101177, 26101178, 26101179, 26101180, 26101181, 26101182, 26101183, 26101184, 26101185, 26101186, 26101187, 26101188, 26101189, 26101190, 26101191, 26101192, 26101193, 26101194, 26101195, 26101196, 26101197, 26101198, 26101199, 26101200

पता: **पारस सिंग कॉलेज ऑफ फार्मासी, PARAS SINGH COLLEGE OF PHARMACY**

*(Signature)*  
 (एफए0 अर0 खान)

सचिव

## कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ- दिनांक- 12-09-2023

### :-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4024-PARAS SINGH COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/18-3099/अ/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थाओं को पूर्व के विस्तृत माननीय न्यायालय में पंजीकृत रिट माफिक संख्या 8027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता समिति की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुकूल संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, तैल उपकरण) आदि उपलब्ध हों।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद पत्र सं. 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसंघती 1992, विनियमसंघती-2000, सेमेस्टर विनियमसंघती-2016 तथा समाप्त-समाप्त पर निर्मित शाकाहारी का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेश/उत्पादा से प्राप्त किया जाएगा। उत्प्रेक्षा के अतिरिक्त उत्प्रेक्षाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शाकाहारी पत्राची होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जन्त आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनताम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शाकाहारी के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विनियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन

संस्था के लिये बाध्यकारी है।

जादू संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् कार्यालय काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और वित्तिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कानून लागू किया जाता है तथा इसके संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् कार्यालय काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अध्यापन नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के सूचनादाय पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुष्टि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, पाठ्य विभाग जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अभियान हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के उद्देश्य में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, कक्षाएं, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जात) विनियमावली, 2000 के प्रावधानानुसार परिषद् की मांग पर अपने कर्मचारियों, भक्तों और फर्निचर को परिषद् को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार में रखेंगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एच.आई.टी.सी/आई.आई.टी.आई. परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता रद्द का अनुपालन न किये जाने अथवा रद्दों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

दिनांक: 12-09-2023

पृष्ठसं- प्राविधिक परिषद् सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

प्रतिशेष:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, PARAS SINGH COLLEGE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव